"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 अगस्त 2026 — भाद्र 9, शक 1948

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB-1/762/2025-HOME SECTION.— छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग घने वनों से आच्छादित, भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम तथा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है और माओवादी/नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी/नक्सल हिंसा एवं विद्रोह की रोकथाम, नियंत्रण तथा प्रभावी प्रतिकार सुनिश्चित करने के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सामाजिक–आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से ऐसे अभ्यर्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हुए स्थानीय रूप से एक विशेष प्रशिक्षित बल का गठन किया जाना आवश्यक है, जिन्हें संबंधित स्थानीय क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थितियों तथा स्थानीय भाषा/बोली एवं संस्कृति का सम्यक ज्ञान हो। अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाईटर्स) में बस्तर संभाग के जिलों के अभ्यार्थियों की फाईटर आरक्षक के पद पर भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाईटर्स), फाईटर आरक्षक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2026 कहलायेंगे।

   (2) इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के समस्त जिलों में होगा।

   (3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों:—

   (क) सेवा के संबंध में "**नियुक्ति प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, अनुसूची–एक के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी;

   (ख) "**परीक्षा**" से अभिप्रेत है, नियम–11 के अधीन भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा,

   (ग) "**प्रथम चरण**" से अभिप्रेत है, आवेदन पत्रों की छानबीन, शारीरिक मापतौल तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा;

   (घ) "**शासन**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ड.) "**राज्यपाल**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

(च) ''**द्वितीय चरण**'' से अभिप्रेत है, लिखित परीक्षा;

(छ) ''**अन्य पिछड़े वर्ग**'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) ''**अनुसूची**'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) ''**अनुसूचित जाति**'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) ''**अनुसूचित जनजाति**'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाईटर्स) फाईटर आरक्षक सेवा;

(ठ) ''**राज्य**'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.–** छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.–** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये जाएं।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.–** सेवा का वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगाः

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.–** (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जायेगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है;

(ग) ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक/स्थानापन्न रूप से धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाये;

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विभागाध्यक्ष की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के प्रयोजन के लिए, संबंधित रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा एक चयन समिति गठित की जाएगी, जो इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती की तरीके से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं। नियुक्ति आदेश चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में जारी किये जावेंगे। नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप नहीं होने और निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर ही अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी कर पुलिस लाईन में आमद देने का आदेश दिया जायेगा।

(2) सीधी भर्ती हेतु आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का पालन करते हुए जिला/इकाईयों के भर्ती आरक्षण रोस्टर के अनुसार पृथक–पृथक पदों का विभाजन विज्ञापन में स्पष्ट कर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ सामान्य, प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जायेगा।

(क) भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में वर्ग–तीन के पदों के लिये 10: आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन किया जावेगा।

(ख) छत्तीसगढ शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ 13–9/दो–गृह/2005 दिनांक 16.1.2007 के अधीन स्वयंसेवी नगरसैनिकों के लिये 25: आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जावेगा।

(ग) 30: पदों की सीधी भर्ती छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) के अनुशरण में, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेगी।

(घ) उन जिलों, जहां सहायक आरक्षक के पद स्वीकृत है, में पदस्थ सहायक आरक्षकों के लिये 15: समस्तर आरक्षण लागू होगा।

8. **सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती के लिये पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(1) अभ्यर्थी को उस जिले का स्थानीय निवासी (सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी निवास प्रमाणपत्र के आधार पर) होना अनिवार्य होगा, जिस जिले के अंतर्गत वह संबंधित भर्ती प्रक्रिया हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही है।

(2) अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।

(3) **आयु**– (क) विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची में कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पॉच वर्ष तक शिथिल की जायेगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों की भी, जो छत्तीसगढ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयु–सीमा, उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी:–

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) यदि कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हों, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:– शब्द ''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य अथवा किन्ही संगठन इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने के तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने कारण सेवामुक्त किया गया हो।

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो

स्पष्टीकरणः— शब्द 'भूतपूर्व सैनिक' से द्योतक है ऐसे व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन—पत्र देने की तारीख से, अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप, या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो अर्थात्ः—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतों (मास्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया है;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किये गये हों, और जिन्हेंः—
(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर;
(ख) भर्ती संबंधी शर्तो के पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं) जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवान्मुक्त किए गए हों;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरूस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पॉच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पॉच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हो, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 36 वर्ष की आयु तक शिथिल की जायेगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान—कमीशंड अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान—कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षो के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी अर्थात उस नगर सैनिक/नान—कमीशंड अधिकारी, जिसने 1 वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो, को अधिकतम 1 वर्ष की, जिसने 2 वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे 2 वर्ष की एवं ऐसे ही आगे के पूर्ण सेवा वर्षो के बराबर की छूट दी जाएगी।

(ञ) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3—2/2002/1—3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम् आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम् 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

टीप—उपर्युक्त नियम 8 के उप—नियम (3) के खण्ड (घ) के उप—खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत अभ्यर्थियों, जिनको चयन के लिये सम्मिलित किया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या चयन के पहले अथवा बाद में, सेवा से त्याग पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् इनकी सेवा या पद से छंटनी की जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

(1) किसी भी अन्य मामलें में आयुसीमा शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी।

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

(2) शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरणों में, अनुशासन, अयोग्यता अथवा चिकित्सा के आधार पर सेवा से हटाये गये सेवारत अथवा भूतपूर्व कर्मी इस सेवा के अयोग्य होंगे।

स्पष्टीकरणः– आयु सीमा में छूट के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये तत्समय प्रचलित नियम लागू होंगे।

(4) **शारीरिक अर्हताः–** अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अनिवार्य रूप से होनी चाहियेः–

(क) ऊंचाई– 163 से.मी. या उससे अधिक (अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)

150 से.मी. या उससे अधिक (अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यार्थियों के लिये)

153 से.मी. या उससे अधिक (अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यार्थियों के लिये)

148 से.मी. या उससे अधिक (अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला अभ्यार्थियों के लिये)

(ख) सीना– बिना फुलाये 79 से.मी.(अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 74 से.मी.) तथा फुलाने पर 84 से.मी. (अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 79 से.मी.)
महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी।

टीप– (1) विशेष प्रकरणों में शारीरिक मापदण्ड (क) एवं (ख) के संबंध में छूट केवल पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा दी जा सकेगी।

(2) ऊंचाई एवं सीने की नापतौल में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिये।

(घ) अभ्यर्थी में नॉक–नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉक–नी एवं फ्लैट फुट संबंधी अर्हतायें सभी पदों के लिये अनिवार्य होंगी साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगे। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।

(5) **शैक्षणिक अर्हताएं.–** अभ्यर्थी के पास अनुसूची–तीन में दर्शाये गये सेवा के लिये अपेक्षित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, किन्तु अपवादिक मामलों में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में निहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा, ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो समिति की राय में, अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के विचारण के लिये पात्र बनाती हो।

9. **निरर्हता.– (1)** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हों से मुक्त, घोषित न कर दिया जाएः

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामलें लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.—** परीक्षा/चयन में शामिल होने के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.—** (1) भर्ती कार्यक्रम, पुलिस मुख्यालय/रेंज कार्यालय/संबंधित इकाई द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया जायेगा। भर्ती जिला सम्पूर्ण राज्य में जिला मुख्यालयों पर एक साथ एक ही समय पर होगी। कोई विशिष्ट कानून व्यवस्था अथवा अन्य समस्या होने पर, पुलिस मुख्यालय, भर्ती कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर सकेगा।

(2) विज्ञापन जारी होने के दिनांक को पदों की वास्तविक रिक्तियों की संख्या के आधार पर ही विज्ञापन जारी किया जायेगा। वित्तीय मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा संयुक्त विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। रिक्तियों की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट, तहसील तथा ब्लॉक कार्यालयों के सूचना पटल पर चिपकाये जाने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना आसानी से पहुंच सके।

(3) केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार, वास्तविक यात्रा किराया दिया जावेगा।

(4) सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों को उन अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे, जो छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अनूसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये नियम 13 के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए समस्तर एवं प्रभागवार 30: आरक्षण रहेगा। विभाग, मंत्री–परिषद के पूर्व अनुमोदन से, नियुक्ति हेतु इस सीमा को 10: कम कर सकेगा।

(7) आरक्षण हेतु राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण रोस्टर एवं नियम जिले के लिए लागू होगें।

(8) उन जिलों, जहां सहायक आरक्षक के पद स्वीकृत हैं, में पदस्थ सहायक आरक्षकों के लिए समस्तर एवं प्रभागवार 15: आरक्षण लागू रहेगा।

(9) चयन प्रकिया में, प्रतियोगिता परीक्षा के लिये प्रवेश हेतु शासन के संबंधित पुलिस अधीक्षक के द्वारा यथा निर्धारित किये गये प्रारूप में, आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद का उल्लेख किया जाएगा। विकल्प के तौर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

(10) अभ्यर्थी अनर्ह समझा जायेगा, यदि अपने आवेदन पत्र के प्रारूप में गलत जानकारी देता है या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाता है, तो ऐसा कृत्य करने पर अभ्यर्थी को सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु या सेवा में निरन्तर बने रहने का अधिकार नहीं होगा तथा उसकी सेवा तत्काल, बिना कोई पूर्व सूचना दिये, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(11) नियम 6 के उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात् :–

(एक) **आवेदन पत्रों की छानबीन–** आवेदन फार्म की छानबीन करते हुए, समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को, प्रथम चरण के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। आवेदन पत्रों की प्राप्ति के बाद समस्त प्रक्रिया, यथासंभव, कम्प्यूटराईज्ड होगी।

(दो) **शारीरिक माप का मान–** प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरान्त दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख, नियम 8 के उप–नियम (4) के खण्ड (क) से (घ) के अनुसार (आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) किया जायेगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र, केवल नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

जावेगा। शारीरिक माप से संबंधित अपील का अंतिम निराकरण नियम 8 के उप–नियम (4) का पालन करते हुए, तत्काल ही किया जायेगा।

(तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षा– शारीरिक दक्षता परीक्षा, कुल 100 अंको का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगीः–

(अ) लम्बी कूद	20 अंक
(ब) ऊंची कूद	20 अंक
(स) गोला फेंक	20 अंक
(द) 100 मीटर दौड़	20 अंक
(इ) 800 मीटर दौड़	20 अंक

प्रत्येक परिणाम के लिये दिये जाने वाले अंको का विस्तृत विवरण, अनुसूची–पांच में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसमें कम से कम कुल 60ः अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी तथा 50ः अंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है।

उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धा हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जायेगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जायेगी।

(चार) लिखित परीक्षा– शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर गुणागुण सूची प्रवर्गवार तैयार की जायेगी तथा इस सूची में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को द्वितीय चरण लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण के प्रवेश की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाये। लिखित परीक्षा कुल 50 अंको की होगी तथा इसकी अवधि 02:00 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विष्लेषण क्षमता, स्थानीय भौगोलिक संरचना, संस्कृति, परंपरा, सामाजिक मूल्य तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो कि वस्तुनिष्ट प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा का संचालन, विभागीय आधार पर अथवा शासन द्वारा नियुक्त/अधिकृत अन्य अभिकरण के द्वारा कराया जा सकता है।

(पांच) साक्षात्कार– 20 अंक (अधिकतम) – शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग किया जाकर प्रवर्गवार गुणागुण क्रम में सूची बनाकर, विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुणा अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यार्थियों को इसकी पात्रता होगी, भले ही यह संख्या 3 गुणा से अधिक हो जाये। साक्षात्कार अधिकतम 20 अंक का होगा। साक्षात्कार, तीन सदस्यीय समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसका गठन रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा। समिति के सदस्यों के संबंध में, राज्य शासन के तत्समय प्रचलित नियमों का पालन किया जाएगा।

(छः) बोनस अंक– 30 अंक (अधिकतम) – नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित है :–

स.क्र.	शीर्ष	अधिकतम बोनस अंक
1.	मोटर वाहन चालन का हैवी लायसेंस धारी	05
2.	एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र/एन.एस.एस.(राष्ट्रीय सेवा योजना) का 'सी' प्रमाण पत्र।	05
3.	जिले की स्थानीय बोली का ज्ञान।	20
अधिकतम बोनस अंक		**30**

टीप– स्थानीय बोली के ज्ञान के परीक्षण हेतु साक्षात्कार समिति में स्थानीय बोली के जानकार विशेषज्ञ भी सदस्य होंगे।

(सात) चयन सूची– (कुल पूर्णांक 200)– शारीरिक दक्षता परीक्षा–100 अंक, लिखित परीक्षा–50 अंक, साक्षात्कार–20 अंक एवं बोनस अंक–30 के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार एवं बोनस अंको के प्राप्तांकों के योग के आधार पर गुणागुण क्रम में सूची बनाई जायेगी। सर्वप्रथम, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिये पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों) के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगें, जो गुणागुण के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी योग्यता भी पूरी करते

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

है। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की उनके अपने–अपने प्रवर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक–पृथक सूचियां तैयार की जायेगी।

इस सूची के तैयार होने के पश्चात् नगर सैनिक के लिये आरक्षण एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये खण्डवार आरक्षण को प्रभावी करना होगा। यदि उपरोक्त सूचियों में पहले ही कुल 25ः नगर सैनिक अभ्यर्थी नहीं हैं तो परीक्षा में शामिल सभी नगर सैनिक की सूची, गुणागुण क्रम में तैयार की जायेगी तथा गुणागुण क्रम में 25ः के मान से नाम पृथक किये जायेंगे और फिर इनमें से केवल उतने अभ्यर्थियों को पूर्व में संदर्भित अनारक्षित पदों एवं आरक्षित पदों की सूचियों में सम्मिलित किया जायेगा, जितने कि 25ः आरक्षण का लाभ देने के लिए आवश्यक हो। केवल तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही, नगर सेना कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी। इसकी प्रतिस्थापना प्रक्रिया में, अनारक्षित तथा आरक्षित सूचियों में गुणागुण में नीचे क्रम के गैर–नगर सैनिक अभ्यर्थी, इन सूचियों से स्वतः बाहर हो जायेंगे। भूतपूर्व सैनिकों का 10ः सीधा आरक्षण है, किन्तु भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण श्रेणीवार हो जाने से इनकी गुणागुण सूची जाति प्रवर्गवार तैयार की जायेगी और 10ः की संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी। प्रतिस्थापना प्रक्रिया भी, केवल उसी वर्ग में होगी, जिसमें 10ः की संख्या पूरी नहीं होती है। नगर सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं पाये जाने की दशा में, कोई भी पद, आगामी वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी, किन्तु ऐसे पद अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के लिये पृथक सूचियॉं तैयार की जायेगी, किन्तु महिलाओं का आरक्षण, खण्डवार सीधा आरक्षण है तथा योग्य महिलायें उपलब्ध न होने की दशा में, पद, आगामी वर्ष के लिये अग्रनीत नहीं किये जायेंगे, अतः जिस भी वर्गवार की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगी, उस पद को, उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

(आठ) **चयन सूची का अनुमोदन–** परीक्षा के पश्चात् चयन सूची तत्काल ही तैयार की जाकर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ रेंज पुलिस महानिरीक्षक को अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी। रेंज पुलिस महानिरीक्षक, प्रथम दृष्टया, किन्तु किसी भी दशा में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही, सूची का परीक्षण कर, अनुमोदन आदेश जारी करेंगे। रेंज पुलिस महानिरीक्षक, चयन सूची का अनुमोदन के समय परीक्षण करेंगे कि–

(क) क्या भर्ती नियमानुसार की गई है?

(ख) क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है?

(ग) भर्ती के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या ऐसी शिकायत तो सामने नहीं आई है, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती हो?

(घ) कोई अन्य स्वस्पष्ट चूक या त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित नहीं हो रही है?

यदि रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उपरोक्तानुसार त्रुटि पाते हैं तो भर्ती की कार्यवाही, निरस्त करने का स्पष्ट आदेश जारी करेंगे। निरस्तीकरण आदेश की प्रति, पुलिस मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जावेगी। केवल अंक गणितीय चूक के आधार पर भर्ती तब तक निरस्त नहीं की जायेगी, जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाये कि इसके कारण अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अप्रमाणित शिकायतों अथवा जनचर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जा सकेगी।

चयन सूची या तो पूरी तरह अनुमोदित की जायेगी अथवा पूरी तरह निरस्त की जायेगी। रेंज पुलिस महानिरीक्षक, पुनः मूल्यांकन अथवा पुनः परीक्षा का आदेश नहीं दे सकेंगे। अनुमोदन के पूर्व, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, सभी आवश्यक दस्तावेज एवं कच्चा कार्य परीक्षण हेतु मंगा सकेंगे।

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) समिति, अपने द्वारा निश्चित किये गये स्तर के **अनुसार** योग्य अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो उक्त मानक अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों। वास्तविक रिक्त पदों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए, 25 पदों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाकर प्रकाशित की जायेगी, जो प्रकाशन

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

के दिनांक से आगामी चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने तक या एक वर्ष की अवधि अथवा जो पहले हो, तक ही प्रभावशील होगी।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति–** (1) सीधी भर्ती के लिये फाईटर आरक्षक के पद हेतु अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट), शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं बोनस में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। नियुक्तियां, पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुये गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) से की जाएगी।

(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्मतिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा। यदि जन्मतिथि एवं प्राप्तांक समान हो तो आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता अवधारित की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची की वैधता, चयन सूची के जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए होगी ।

14. **परिवीक्षा/प्रशिक्षण** –(1) प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जाएगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाए जाने पर, सफल अभ्यर्थी, जिनका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) में आया है, को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी, चरित्र सत्यापन प्रारूप में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जायेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य, सेवा में नियुक्ति के बाद प्रकट होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक किया जा सकेगा। उसका चरित्र सत्यापन प्रतिकूल होने पर, अभ्यर्थियों को नियुक्ति तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम, चयन सूची से हटा दिया जायेगा।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी, जिसे परिवीक्षा पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया हो, दिये गये दिनांक तक निर्दिष्ट स्थान पर, उपस्थित नहीं होता है, तो पुलिस महानिदेशक के आदेश द्वारा ऐसे अभ्यर्थी का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी यह आदेश जारी कर सकेगा कि वह उस अभ्यर्थी के नियुक्ति प्रस्ताव जारी करें, जिसका नाम गुणागुण सूची में ठीक नीचे दिया गया है तथा जिसे ऐसे प्रस्ताव के लिये अन्यथा उपयुक्त पाया गया है:–

(3) अभ्यर्थियों को इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा, जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

(4) निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात् दिया जायेगा। निर्धारित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय–समय पर यथा निर्धारित मापदण्डों द्वारा प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की स्थिति में प्रशिक्षण कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे सेवा मुक्त भी किया जा सकेगा।

15. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लेखित सदस्य शामिल होंगे।

तथापि, इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र.21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 13–8/2019/आ.प्र./1–3, नवा रायपुर अटल नगर, दिनाँक 27.08.2020 के परिपालन में समिति में एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य है।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) समिति का कार्यकाल, उसके गठन किए जाने से एक वर्ष का या जब तक उसका पुर्नगठन न हो जाये, इसमें से जो भी पहले हो, होगा।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार एवं जिला बल में जी.डी. संवर्ग में समकक्ष पद/सेवा हेतु प्रचलित पदोन्नति नियम में उल्लेखित मापदण्ड अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

(5) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (4) में उल्लेखित नियम एवं शासन के सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेषों के अनुसार होगी।

16. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्ते.–** (1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में, जिससे पदोन्नति की जानी है (चाहे मूल रूप में या

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरणः– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार एवं जिला बल में जी.डी. संवर्ग में समकक्ष पद/सेवा हेतु प्रचलित पदोन्नति नियम में उल्लेखित मापदण्ड अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) सेवा के प्रत्येक पद/रैंक पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति–पूर्व–प्रषिक्षण तथा पदोन्नति–बाद –प्रषिक्षण में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

17. **पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो।

संबंधित वर्ष, जिसके लिये पदोन्नति प्रक्रिया की जानी है, उस वर्ष अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान पदोन्नति के लिये रिक्तियों की संख्या की गणना, विद्यमान तथा सेवानिवृत्ति एवं उच्चतर संवर्ग/सेवा के भाग/पदों के उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति के कारण प्रत्याषित रिक्तियों में 25: (अप्रत्याषित) अधिक का योग करते हुये रिक्त पदों का निर्धारण किया जायेगा। रिक्त पदों का निर्धारण आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।

(2) उक्त सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार एवं जिला बल में जी.डी. संवर्ग में समकक्ष पद/सेवा हेतु प्रचलित पदोन्नति नियम में उल्लेखित मापदण्ड अनुसार तैयार की जायेगी। पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मापदण्ड वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया है, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं किया जायेगा।

18. **चयन/योग्यता सूची.–** (1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन)/रेंज पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लेखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लेखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन/योग्यता सूची होगी।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा गुणागुण सूची बनाये जाने के पूर्व, उसे पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू डी.पी.सी.) के रूप में भी कार्य करना पड़ेगा अर्थात जिनके नाम पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति में विचार हेतु छूट गये हैं अथवा जिनके सेवा–अभिलेख में कोई परिवर्तन हो गया हो, तो ऐसे कर्मचारियों के नामों पर समिति विचार करेगी।

(3) पदोन्नति के लिये चयन/योग्यता सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से नई योग्यता सूची प्रकाषित होने तक अथवा 18 माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, विधिमान्य रहेगीः

परन्तु चयन/योग्यता सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, चयन/योग्यता सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और चयन/योग्यता सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटाया जा सकेगा।

(4) पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मचारियों की चयन/योग्यता सूची, जिला बल में जी.डी. संवर्ग में समकक्ष पद/सेवा हेतु प्रचलित नियम में उल्लेखित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। चयनित अधिकारी/कर्मचारियों का उच्च पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति–पूर्व–प्रशिक्षण, प्रषिक्षण संस्थान में संचालित किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा योग्यता सूची जारी कर, रिक्त पदों पर संवर्गवार उसी क्रम में पदोन्नति दी जायेगी, जिस क्रम में उपयुक्त कर्मचारी का नाम, योग्यता सूची में हो।

योग्यता सूची की समयावधि समाप्ति उपरांत यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नत नहीं हो पाते हैं एवं पदोन्नति–पूर्व–प्रशिक्षण में शामिल अधिकारी/कर्मचारी जो पदोन्नति प्राप्त नहीं कर पाये

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

हों, तो नई योग्यता सूची बनाते समय उसका नाम, सेवा में वरिष्ठता क्रम से सम्मिलित कर लिया जावेगा। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को, पूर्व वर्ष की योग्यता सूची के आधार पर पदोन्नति अथवा वरिष्ठता का लाभ दिये जाने की पात्रता नहीं होगी, किन्तु नई योग्यता सूची में उसका नाम आने के उपरांत ही, जहां उसका वरिष्ठता क्रम निर्धारित किया गया हो, उसी क्रम से उसे वरिष्ठता का लाभ दिया जायेगा, यदि उसको उक्त अवधि में कोई बड़ी सजा न मिली हो तथा उसके विरूद्ध कोई विभागीय जाँच, अपराधिक प्रकरण विचाराधीन व लंबित न हो। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को इस अवधि में दीर्घषास्ति अधिरोपित हो जाती है, तो उसका नाम योग्यता सूची से पृथक कर दिया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को पदोन्नति प्राप्त करने के लिए पुनः निर्धारित चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होकर उपयुक्त होना आवष्यक होगा। योग्यता सूची बनाने एवं पुनरीक्षण की कार्यवाही, प्रत्येक वर्ष की जायेगी। पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अधिकारी/कर्मचारी को अवसरों का बंधन नहीं रहेगा।

19. **चयन/योग्यता सूची से सेवा में नियुक्ति.–** (1) सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों अनुसार एवं जिला बल में जी.डी. संवर्ग में समकक्ष पद/सेवा हेतु प्रचलित पदोन्नति नियम में उल्लेखित मापदण्ड अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति, जिसका नाम चयन/योग्यता सूची में सम्मिलित हो, की नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन/योग्यता सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. **सामान्य निर्देशः–** (1) अभ्यर्थियों की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम में 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार ही इकाई प्रमुख द्वारा की जायेगी।

(2) भर्ती के सभी अभिलेख एवं रफ कार्य सुरक्षित रखा जायेगा। यह, इस भर्ती के समाप्त होने के 3 वर्ष के बाद ही नष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते भर्ती के संबंध में कोई जांच न चल रही हो या प्रस्तावित न हो अथवा न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो।

(3) सभी अभिलेख (दस्तावेज), स्याही अथवा बाल पेन से लेख किया जायेगा।

(4) शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में एकरूपता तथा पारदर्शिता के लिये, बहुउद्देशीय कार्ड का नमूना का प्रारूप विभाग द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

(5) चयनित अभ्यर्थियों पर (दिनांक 01.08.2025 से प्रभावी) अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) लागू होगी, चयनित शासकीय सेवक किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे।

(6) प्रधान आरक्षक एवं अन्य वरिष्ठ पदों की पूर्ति, छत्तीसगढ़ पुलिस की अन्य शाखाओं से स्थानांतरण अथवा फाईटर आरक्षक की पदोन्नति के आधार पर की जाएगी। पदोन्नति की कार्यवाही रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी।

(7) फाईटर आरक्षक, उस जिले के आरक्षक (जीडी) के समकक्ष होगा। "फाईटर आरक्षक" की भर्ती के अलावा शेष सेवा के निर्बंधन, कर्त्तव्य, शर्तें तथा वेतन–भत्ते इत्यादि वही होंगे, जो इन जिलों में तैनात छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल के आरक्षक (जीडी) के हैं।

(8) बस्तर फाईटर्स संवर्ग में पदोन्नत पाये कर्मियों का उप–निरीक्षक पद तक दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं होगा।

21. **निर्वचन.–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.–** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती हैः

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन तथा व्यावृत्ति.–** (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते हैः

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
राम प्रसाद चौहान, उप–सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	52	पुलिस महानिरीक्षक	तृतीय श्रेणी	लेवल–9
2.	उप निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	106	पुलिस उप महानिरीक्षक	तृतीय श्रेणी	लेवल–8
3.	सहायक उप निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	162	पुलिस अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	लेवल–6
4.	प्रधान आरक्षक (बस्तर फाईटर्स)	1075	पुलिस अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	लेवल–5
5.	फाईटर आरक्षक	4600	पुलिस अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	लेवल–4

टीपः– इन नियमों के तहत् भर्ती किये गये फाईटर आरक्षक की सेवा की अन्य शर्तें वही होगी जो छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल के आरक्षक (जीडी) की हैं।

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा खनियम 6 (1) (क) देखिये,	पदोन्नति द्वारा खनियम 6 (1) (ख) देखिये,	स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा खनियम 6 (1) (ग) देखिये,	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	52	–	100:		–
2.	उप निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	106	–	100:		–
3.	सहायक उप निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	162	–	100:		–
4.	प्रधान आरक्षक (बस्तर फाईटर्स)	1075	–	100:		–
5.	फाईटर आरक्षक	4600	100:	–		–

टीपः– प्रधान आरक्षक एवं अन्य वरिष्ठ पदों की पूर्ति, छत्तीसगढ़ पुलिस की अन्य शाखाओं से स्थानांतरण के माध्यम से तब तक के लिए किया जायेगा, जब तक बस्तर फाईटर्स संवर्ग से पदोन्नति के पदों की पूर्ति न हो जाए।

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिए)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	फाईटर पुलिस	फाईटर आरक्षक	18 वर्ष	28 वर्ष	छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हों, भी पात्र होंगे।	(संबंधित रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामांकित):– (1) पुलिस अधीक्षक **–अध्यक्ष** (2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी अथवा उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी के दो अधिकारी **–सदस्य**

टीपः– (1) परन्तु ऊपर उल्लेखित दो सदस्यों में से एक सदस्य, छत्तीसगढ सशस्त्र बल से होगा तथा अन्य सदस्य किसी अन्य जिले के पुलिस बल में पदस्थ किया गया अधिकारी होगा। छत्तीसगढ सशस्त्र बल के अधिकारी का नामांकन, छत्तीसगढ सशस्त्र बल के पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक के परामर्श से किया जाएगा।

(2) चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में राज्य शासन के नियम लागू होंगे। साथ ही चयन समिति में एक सदस्य महिला अधिकारी का होना अनिवार्य है।

(3) सह–समिति शारीरिक माप तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये तथा माप के अभिलेख रखने हेतु समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार प्रारूप बनाया जा सकेगा। जिसमें कुछ सदस्य, छत्तीसगढ सशस्त्र बल से और कुछ सदस्य, जिला पुलिस बल से लिए जाएंगे। इस समिति के सदस्य प्रदर्शनीय/मूल्यांकन के अभिलेख संधारण करने हेतु प्रमाणिकता के लिये उत्तरदायी होंगे। चयन समिति, उपर्युक्त मामलों में पुनः माप संचालित करने हेतु मुक्त होगीः

परंतु विभागाध्यक्ष सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, उपुर्यक्त चयन समिति से भिन्न चयन समिति भी गठित कर सकेगा।

अनुसूची–चार
(नियम 14, 15, 16 एवं 17 देखिये)

स. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव/सेवा की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	5 वर्ष	(1) पुलिस महानिरीक्षक **–अध्यक्ष** (2) पुलिस उप महानिरीक्षक (दो) **–सदस्य** (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित)
2.	सहायक उप निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	उप निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	3 वर्ष	(1) उप पुलिस महानिरीक्षक (तीन) (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित) (2) उनमें से वरिष्ठतम सदस्य, अध्यक्ष होंगे।
3.	प्रधान आरक्षक (बस्तर फाईटर्स)	सहायक उप निरीक्षक (बस्तर फाईटर्स)	5 वर्ष	(1) उप पुलिस महानिरीक्षक **–अध्यक्ष** (2) पुलिस अधीक्षक (दो) स्तर के अधिकारी **–सदस्य** (रेंज पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामांकित)

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

4.	आरक्षक (बस्तर फाईटर्स)	प्रधान आरक्षक (बस्तर फाईटर्स)	8 वर्ष	(1) एक पुलिस अधीक्षक –**अध्यक्ष** (2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक–**सदस्य** (3) उप पुलिस अधीक्षक –**सदस्य** (रेंज पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामांकित)

टीपः– पदोन्नति में न्यूनतम अनुभव/कालावधि में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी नियम लागू होंगे।

अनुसूची–पांच
(नियम 3 एवं 7 देखिये)

स.क्र.	मद (आयटम) **पुरूष अभ्यर्थी**	अंक	मद (आयटम) **महिला अभ्यर्थी**	अंक	मद (आयटम) **भूतपूर्व सैनिक**	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**लम्बी कूद**	**20**	**लंबी कूद**	**20**	**लम्बी कूद**	**20**
	3 मीटर 75 से.मी. से कम	00	2 मीटर 50 से.मी. से कम	00	3 मीटर 65 से.मी. से कम	00
	3 मीटर 75 से.मी. या अधिक	07	2 मीटर 50 से.मी. तक	07	3 मीटर 65 से.मी. या अधिक	07
	4 मीटर या अधिक	11	2 मीटर 75 से.मी. तक	11	3 मीटर 90 से.मी. या अधिक	11
	4 मीटर 50 से.मी. या अधिक	14	3 मीटर 25 से.मी. तक	14	4 मीटर 40 से.मी. या अधिक	14
	5 मीटर या अधिक	17	3 मीटर 75 से.मी. तक	17	4 मीटर 90 से.मी. या अधिक	17
	5 मीटर 50 से.मी.या अधिक	20	4 मीटर 25 से.मी.या अधिक	20	5 मीटर 40 से.मी. या अधिक	20
2.	**उंची कूद**	**20**	**उंची कूद**	**20**	**उंची कूद**	**20**
	1 मीटर 30 से.मी. से कम	00	1 मीटर से कम	00	1 मीटर 05 से.मी. से कम	00
	1 मीटर 30 से.मी. या अधिक	07	1 मीटर या अधिक	07	1 मीटर 05 से.मी. या अधिक	07
	1 मीटर 35 से.मी. या अधिक	11	1 मीटर 05 से.मी. या अधिक	11	1 मीटर 10 से.मी. या अधिक	11
	1 मीटर 40 से.मी. या अधिक	14	1 मीटर 10 से.मी. या अधिक	14	1 मीटर 15 से.मी. या अधिक	14
	1 मीटर 45 से.मी. या अधिक	17	1 मीटर 15 से.मी. या अधिक	17	1 मीटर 20 से.मी. या अधिक	17
	1 मीटर 50 से.मी. या अधिक	20	1 मीटर 20 से.मी. या अधिक	20	1 मीटर 25 से.मी. या अधिक	20
3.	**गोला फेंक (वजन 16 पाउण्ड)**	**20**	**गोला फेंक (वजन 8 पाउण्ड)**	**20**	**गोला फेंक (वजन 16 पाउण्ड)**	**20**
	5 मीटर से कम	00	4 मीटर से कम	00	5 मीटर से कम	00
	5 मीटर या अधिक	07	4 मीटर या अधिक	07	5 मीटर या अधिक	07
	6 मीटर या अधिक	11	5 मीटर या अधिक	11	6 मीटर या अधिक	11
	7 मीटर या अधिक	14	6 मीटर या अधिक	14	7 मीटर या अधिक	14
	8 मीटर या अधिक	17	7 मीटर या अधिक	17	8 मीटर या अधिक	17
	9 मीटर या अधिक	20	8 मीटर या अधिक	20	9 मीटर या अधिक	20
4.	**100 मीटर दौड़**	**20**	**100 मीटर दौड़**	**20**	**100 मीटर दौड़**	**20**
	12 सेकेण्ड या कम	20	14 सेकेण्ड या कम	20	14 सेकेण्ड या कम	20
	14 सेकेण्ड तक	14	16 सेकेण्ड तक	14	16 सेकेण्ड तक	14
	16 सेकेण्ड तक	7	18 सेकेण्ड तक	7	18 सेकेण्ड तक	07
	16 सेकेण्ड से अधिक	00	18 सेकेण्ड से अधिक	00	18 सेकेण्ड से अधिक	00
5.	**800 मीटर दौड़**		**800 मीटर दौड़**		**800 मीटर दौड़े**	**20**
	2 मिनट तक	20	2 मिनट 30 सेकेण्ड तक	20	2 मिनट 30 सेकेण्ड तक	20
	2 मिनट 30 सेकेण्ड तक	14	3 मिनट तक	14	3 मिनट तक	14
	3 मिनट तक	07	3 मिनट 30 सेकेण्ड तक	07	3 मिनट 30 सेकेण्ड तक	07
	3 मिनट से अधिक	00	3 मिनट 30 सेकेण्ड से अधिक	00	3 मिनट 30 सेकेण्ड से अधिक	00

टीपः– यदि तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाणपत्र में पुरूष उल्लेखित होने पर, पुरूष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लेखित होने पर, महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे।

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

नमूना कार्ड
छत्तीसगढ पुलिस

हाल ही में खिंचाया हुआ बिना रंगीन चश्मा का पासपोर्ट साईज का फोटो, फोटो पर हस्ताक्षर इस प्रकार करें कि

आरक्षक चयन परीक्षा; माह .... वर्ष.......................

जिला .... परीक्षा प्रवेश एवं प्रदर्शन पत्र/कार्ड

स.क्र. .... रोल नम्बर...........................

रोजगार पंजीयन क्रमांक ....

उम्मीदवार का नाम ....

वर्ग– श्रेणी ....

पुरूष/महिला .... जन्मतिथि ....

शैक्षणिक योग्यता ....

परीक्षा दिनांक ....परीक्षा स्थल...............................

हस्ताक्षर उम्मीदवार ....

हस्ताक्षर दस्तावेज छानबीन टीम प्रभारी...

टीपः– शारीरिक परीक्षा पूर्व, यह कार्ड आवेदक को दिया जायेगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरांत, उसके हस्ताक्षर लेकर वापस ले लिया जायेगा। लिखित परीक्षा के समय, इस कार्ड पर उसके तथा परीक्षा कक्ष के प्रभारी के हस्ताक्षर लिये जायेंगे।

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

शारीरिक मापदण्ड का विवरण

उंचाई .... से.मी.

सीना बिना फुलाये............................ से.मी.

फुलाने पर .... से.मी.

नॉक–नी.......................... योग्य/अयोग्य

फ्लैट–फुट........................ योग्य/अयोग्य

जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर ....

परीक्षा विवरण

स.क्र.	मद का नाम	समय/माप	प्राप्तांक	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	हस्ताक्षर
1.	100 मीटर दौड़				
2.	800 मीटर दौड़				
3.	लम्बी कूद				
4.	उंची कूद				
5.	गोला फेंक				

1. क्या लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ ?

   यदि हॉं, तो आवेदक के हस्ताक्षर ....

   हस्ताक्षर शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रभारी ....

   हस्ताक्षर लिखित परीक्षा कक्ष प्रभारी ....

2. साक्षात्कार में उपस्थित हुआ .... हां/नहीं

   हस्ताक्षर प्रभारी ....

   हस्ताक्षर प्रभारी ....

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

Nava Raipur Atal Nagar, the 31st August 2026

NOTIFICATION

No. ESTB-1/762/2025-HOME SECTION.— The Bastar division of Chhattisgarh State is a geographically challenging region covered with dense forests, predominantly inhabited by Scheduled Tribes, and has been affected by Maoist/Naxal violence. In such affected areas, it is necessary to form a specially trained local force to prevent, control, and effectively counter Maoist/Naxal violence and insurgency, while also providing employment opportunities to local residents, thereby promoting socio-economic development and integrating them into the national mainstream. This force should comprise individuals who possess adequate knowledge of the local area, geographical conditions, and local language/dialect and culture. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to the post of Fighter Constable of candidates from the districts of Bastar Division in Chhattisgarh Police Special Executive Force (Bastar Fighters), namely:-

RULES

1. Short title extent and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Police Executive Force (Bastar Fighter), Fighter Constable (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2026.

(2) It extends to the all districts of Bastar Division of Chhattisgarh State.

(3) These rules shall come in to force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Appointing Authority"** in respect of the service means the appointing authority as specified in column (4) of Schedule-I;

(b) **"Examination"** means a competitive examination conducted for recruitment under rule 11;

(c) **"First Phase"** means, Scrutiny of application, physical measurement and physical efficiency test;

(d) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) **"Second Phase"** means written examination;

(g) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No.F-85-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(h) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

(i) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(k) **"Service"** means Chhattisgarh Police Special Executive Force, Bastar Fighters), Fighter Constable Service;

(l) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and Application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rule, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the service.- The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are substantively holding the posts specified in Schedule-I;
(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
(3) Persons, recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Pay scale etc.- The classification of the service and the scale of pay attached there to, shall be as specified in Scheduled-I;

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service and scale of pay either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment through competitive examination /selection;

(b) By promotion of such member of service, as are specified in column (3) of Schedule-IV;

(c) By transfer or deputation of persons who hold in a substantive or officiating capacity such posts in such service as may be specified in this behalf by the State Government;

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1) shall not, at any time, exceed the percentage mentioned in Schedule-II, the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), if in the opinion of the Head of the Department, the exigency of the service so required, he may, with the prior consent of the General Administration Department of the Government, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the purpose of filling of the posts of direct recruitment, A Committee constituted by the concerned Range Inspector General of Police, who adopt with the consent of the Government other reasonable standards besides the aforesaid standards.

(6) At the time of recruitment to the service, the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under the said Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. Appointment in service.- (1) After the commencement of these rules all the appointments in service shall be made by Appointing Authority and no appointment shall be made except selecting through any of the recruitment method specified in rule 6, The appointment order shall be issued in seniority order in select list. The character verification and medical examination of the candidates shall be conducted prior to the issue of appointment order. An appointment order to the candidates shall be issued only after confirming no adverse remarks in character verification and finding fully fit as per prescribed measurements and he shall be ordered to report to the Police Line.

(2) The division of the posts separately should be made clearly in the advertisement as per recruitment reservation roster of districts/units by complying the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) regard to reservation for direct recruitment. Apart from this the directions issued from time to time by the General Administration Department of Government of Chhattisgarh shall also be complied.

(a) The order regarding 10% reservation respectively for the posts of Class-III categories in Government service for ex-serviceman shall be complied.

(b) 25% reservation for volunteers Home Guards has been implemented under, memorandum SI. No. F-13-9/Two-Home/2005, dated 16.01.2007 of Home (Police) department, Government of Chhattisgarh shall be complied.

(c) The direct recruitment 30% posts shall be reserved for local women candidates of Chhattisgarh State, in accordance with provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) 15% horizontal reservation shall be applicable for Sahayak Aarakshak posted in such districts in such districts, where the post of Sahayak Aarashak is sanctioned.

8. Conditions of Eligibility for direct recruitment.- The following conditions are to be fulfilled for the eligibility of candidates, namely:-

(1) The applicant must be a local resident of the district in which he/she is submitting the application for the relevant recruitment process.

(2) The candidates should have good conduct and good past record.

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

(3) **Age.-** (a) He has attained the age as specified in column (4) of Schedule-III, and not attained the age specified in column (5) of the said Schedule, on the 1st day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) If the candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes category than the upper age limit maximum of 5 years shall be relaxed;

(c) The upper age limit may also be relaxed for 10 years for local women candidates Chhattisgarh State, in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment off Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit may also be relaxed for those candidates who are employees of Chhattisgarh State or had been the employee of Government of Chhattisgarh but they have not deemed unfit to Government service, to that extent and under following conditions:-

(i) Any candidate who is a permanent Government Servant, should not have completed the age of 36 years;

(ii) Any candidate, who is possessing a temporary post and applying for any other post, should not be the age of more than 36 years. This relaxation is also permissible to the employees drawing their pay from contingency fund, employees in charge and the employees working under project Implementation Committee;

(iii) If any candidates is retrenched Government Servant then he shall be permitted to reduce a maximum of 7 years, time period of his entire temporary service rendered by him earlier even though by more than one duration of his service, from his age, provided that resultant age does not exceed the upper age limit by more 3 years.

Explanation- The word "Retrenched Government Servant" means- such person who has rendered a minimum of 6 months period continually as temporary Government Service of this State or any organizational unit and has been relieved from service, due to curtailment of number of employees, a maximum of 3 years prior to the date of applying elsewhere for the appointment in Government Service or registering his name in employment exchange.

(e) The candidates, who are ex-servicemen, shall be permitted to deduct the entire length of service period rendered in defense service from his existing provided the resultant age should not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The word "Ex-servicemen" means such person who belongs to any of the following categories and has been employed continuously for a period of not less than 6 months under Government of India and who has been retrenched due to the curtailment in establishment in general or as a result of recommendation of economy unit, a maximum of 3 years prior to the date of registration of his name in any of the Employment Exchange or from the date of applying elsewhere for the employment in Government Service or who has been declared surplus;

(1) Such ex-servicemen, who have been discharged under mustering out concession;

(2) Such ex-servicemen who have been recruited second time and who have been relieved from service on.-

(a) Completion of Short Term Bond;
(b) Completion of Conditions of enrolment.

(3) Ex-employment of Madras Civil Units;

(4) Such officers (Combatant or non-combatant), (In which regular Short-Service Commissioned officers are included) who have been discharged from service on completion of their contract;

(5) Such officers, who have been discharged from service after having served continually for more than 6 months period on leave vacancies;

(6) Such Ex-servicemen who have been relieved from service due to disability;

(7) Such Ex-servicemen, who have been discharged from service on the grounds that they are not fit for becoming soldier;

(8) Such Ex-servicemen, who have been discharged from service on medical ground due to bullet hurt or wound.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 36 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxable in case of volunteer Home Guards and non-commissioned officers of Home-Guard for the period of service rendered so by them, subject to a limit of 8 years, but their age should not exceed by 36 years in any case. The Volunteer Home Guards and non-commissioned officers of Home Guard should be given relaxation in upper age limit for the appointment in Government Service in equivalent to total years of duration of service rendered by them in Home Guard, that means, the Home-Guard/Non-commissioned officer who has rendered 1 year Home Guard service shall be given a maximum of 1 year age relaxation, who has rendered 2 year of service shall be given a total of 2 years age relaxation and so on as per the service period rendered by them.

(j) According to circular No. F 3-2/2002/1-3 dated 30.01.2012 of the General Administration Department, Government of Chhattisgarh, persons appointed on a contractual basis shall be granted a relaxation in the prescribed maximum age limit for applying for Government Service, equivalent to the number of years they have served on a contract. This relaxation shall be applicable up to a maximum age limit age limit of 38 years.

Note- Under the age relaxation mentioned in sub-clause (1) and (ii) of above said clause (d) of sub-rule (3) of rule 8, the candidates who have been included for the selection, shall not be eligible for appointment if they resign from service after submitting application or before or after the selection, however if they are discharged from service or post after submitting the application then they shall remain entitled for the appointment.

(1) Age limit shall not be relaxed in any other cases. The departmental candidates have to obtain prior permission from their Appointing Authority for the inclusion of their name in selection.

(2) In the cases of Government/Semi Government or Ex-servicemen, serving or ex-employees dismissed from service on discipline, disqualification or medical ground shall be disqualified for this service.

Explanation- The rules regarding age limit relaxations issued by the Government from time to time and currently in force shall be applicable.

(4) Physical Qualification.- The candidates must have the following physical qualification:-

(a) Height- 163 cm. or more (For male candidates of Unreserved class, Scheduled Caste and Other Backward Classes category)

150 cm. or more (For male candidates of Scheduled Tribes category)

153 cm. or more (For female candidate of Unreserved, Scheduled Castes and Other Backward classes category)

148 cm. or more (For female candidates of Scheduled Tribes categories)

(b) Chest- 79 cm. without expansion (74 cm. for Scheduled Tribes candidates) and 84 cm. after expansion (79 cm. for Scheduled Tribes candidates)

Female candidates are exempted from this qualification.

Note- (1) Relaxations may be given only by Inspector General of Police Bastar Range in special cases with regards to physical measurements under clause (a) and (b).

(2) The decision of Selection Committee shall be final for measurement of height and chest.

(c) The candidates should not be disabled physically.

(d) The candidates should not have flat foot, knock-knee. Qualification regarding knock-knee and flat foot is mandatory for all the posts and all the candidates should be medically fit. The Competent Authority themselves shall take decision of unfit candidates due to above said causes and may take advise from District Chief Medical Officer in case of need. Candidate should not have any disease related to eyes. The candidates should be able to distinguish between major colures.

(5) Educational Qualification.- The candidates should possess educational qualification requisite for the service mentioned in Schedule-III, but in exceptional cases, on the recommendation of Appointing Authority, Committee may qualify such candidates who though does not possess any qualification out of the qualifications mentioned in this section but has possess such examination conducted by any other Institutes which makes the candidates considerable for eligibility for examination/ selection in the opinion of the committee.

9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to be a disqualification for appearing in the examination/selection.

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.– The decision of the Appointing Authority/Selection Committee about eligibility or ineligibility of any candidate in relation to admission to examination/selection shall be final. Any candidates who has not been issued with admission certificate, with regard to admission in to examination by the Appointing Authority/Selection Committee, shall not be eligible for admission into examination/interview.

11. Direct Recruitment through Competitive Examination /Selection.- (1) Recruitment program shall be propagated through advertisement by Police Headquarters/Range Office/Concerned unit. The recruitment shall be carried out at District Headquarters in entire State simultaneously at the same time. In case of problem of any specific legal order or any other problems, Police Headquarters can make necessary amendment in the recruitment program.

(2) The advertisement shall be issued on the basis of number of actual vacancies of the posts on the date of issuing advertisement. Keeping in view the financial economy, a combined advertisement may be issued by Police Headquarters. Arrangements should be made to affix the information regarding vacancies on the Notice Board of Superintendent of Police Office, District Collectorate, Tahsil and Block Office, so that the information can reach easily to distant rural areas.

(3) The actual journey fare shall be paid only to, the candidates of Scheduled Tribes/Scheduled Castes/Other Backward Classes categories as per the order of the Government.

(4) The posts out of the existing vacancies available for direct recruitment shall be kept reserved for those candidates who are the member of Scheduled Tribes/Scheduled Castes/Other Backward Classes categories as per the orders or instructions issued from time to time by State Government and as per the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan jatiyon Aur Anya Pichhde Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be rule 13.

(6) As per the direction of Government, there shall be 30% compartmental and horizontal reservation for women. The department may reduce this limit for appointment up to 10% with the prior approval of council of ministers.

(7) Reservation Roster and Rules, issued by the State Government from time to time for the district, shall be applicable for reservation.

(8) 15% horizontal and category wise reservation shall be applicable for Sahayak Aarakshak posted in such district, where the post of Sahayak Aarakhak is sanctioned.

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

(9) For admission in the competitive examination of the selection process, the applicant must specify the post applied for, while filling the application form as prescribed by the concerned Superintendent of Police of the Government. Online application form may also be invited by Superintendent of Police.

(10) The candidate shall be treated as disqualified, if he gives false information in the format of his application or suppresses any factual information, then doing such act shall not entitle the candidates to continue in the service or for appointment under the Government and his service shall be immediately shall be terminated by the Appointing Authority without any prior notice.

(11) The selection procedure by competitive examination under clause (a) of sub-rule (1) of rule 6 shall be as under, namely:-

(i) Scrutiny of Applications- Having scrutinized the applications, the candidates fulfilling all the prescribed qualifications shall be eligible to take part in selection procedure under first phase. The entire procedure shall be computerized as far as possible after the receipt of application forms.

(ii) Measure of Physical measurement- The physical measurement of the candidates, whose applications and the documents after scrutiny have been found correct under the first phase and fulfilling the requisite prescribed qualifications, shall be conducted as per sub-clause (a) to (d) of sub-rule (4) of rule 8 (except the eye vision test and other tests related to eyes) and the permission letter for appearing into next procedure shall be given only those candidates who have been succeeded in physical measurement test. The final disposal of the appeal related to physical measurement shall be done immediately as per sub-rule (4) of the rule 8.

(iii) Physical Proficiency Test- Physical proficiency test shall be of total 100 marks and it shall include the following competitions:-

(a) Long Jump : 20 marks

(b) High Jump : 20 marks

(c) Shot Put : 20 marks

(d) 100 meter race : 20 marks

(e) 800 meter race : 20 marks

Elaborate details of the marks to be given for each result are specified in Schedule-V. It shall be mandatory to obtain 60% marks for the candidates of General Caste and that of 50% marks for the candidates of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes category.

Only one chance shall be given to the candidates for all the above said items. It is mandatory for all the candidates to take part in all the above said items. On being dissatisfied with his exhibit valuation a candidate may appeal before the selection committee, which shall be abrogated spontaneously. The decision of selection committee shall be final in this context. The Physical Proficiency Test shall be conducted under sufficient light between sunrise and sunset. This test shall not be carried out during night or under artificial light.

(iv) Written Examination- Category wise Merit List of candidates shall be prepare on the basis of the result of physical proficiency test and a maximum of 15 times of number of posts advertised candidates shall be given opportunity to take part in written examination of second phase. All the candidates obtaining equal minimum marks shall be eligible to enter in to the next phase, even though if the total number may become more than that of 15 times. The written examination shall be of 50 Total Marks and its duration shall be of 2 hours. The question of General Knowledge, Intellectual Capability, Analysis Capability, Local Geographical Structure, Culture, Tradition, Social Values and Arithmetic shall be asked under this which shall be of objective type. The written examination may be conducted either on departmental basis or by other agency appointed/authorized by the Government.

(v) Interview- 20 marks (maximum)- By adding the marks obtained in physical proficiency test and written examination, category wise Merit List shall be prepared in which the candidates numbering maximum 3 times the number of posts advertised shall be called for interview. All the candidates obtaining equal minimum marks shall be eligible for interview, even though if the total number may become more than that of 3 times. The interview shall take by 3 Members Committee who shall be constituted by Inspector General of Police range. The rules enforced on that time of State Government shall be applicable in respect of members of the Committee.

(vi) Bonus Marks- 30 marks (maximum)- Marks for special qualification under the head mention below, are as follows:-

S. No.	Head	Maximum Bonus Marks
1.	Heavy vehicle driving license holder	05
2.	NCC "C" certificate holders/NSS (National	05

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

	Service Scheme) "C" certificate holders	
3.	Knowledge of local language of district	20
Maximum Bonus Marks		**30**

Note- Expert members of local language to examine the knowledge of local language, shall be kept in interview committee.

(vii) Select List- (Maximum marks 200)- The select list shall be prepare on the basis of physical proficiency test-100 marks, written examinations-50 marks, Interview 20 marks and Bonus marks-30. The list in merit order shall be prepared on the basis of sum of total marks obtained in written examination, physical proficiency test, interview and bonus marks. At first, a list of candidates eligible for unreserved posts from the candidates of all categories, shall be prepared. The candidates of reserved category (Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes) shall also be included in this list who are entitled for this on the merit basis and fulfill all the qualifications of unreserved posts. Separate lists shall be prepared for advertised reserved posts from the remaining candidates of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes for their respective caste category.

After the preparation of this list reservation for Home Guards and block wise reservation for ex-servicemen have to be made effective. If 25% Home Guard candidates are not there in said list in origin, then the list of all the Home Guards appeared in the examination shall be prepared in merit order and the name shall be separated at the rate of 25% in merit order and then only those candidates out of these shall be included in the lists of unreserved posts and reserved posts mentioned earlier, which are necessary to extend advantage of 25% reservation. The Home Guards having rendered 3 years of service only are eligible for reservation in Home Guards Quota. Under this replacement procedure non-home guard candidates shall automatically be discarded from these lists belonging to lower sequence in merit in unreserved and reserved lists. There is 10% direct reservation for ex-servicemen but due to the category wise reservation of ex-servicemen their merit list shall be prepared caste category wise and the calculation of number of 10% shall also be caste category. The replacement procedure shall also be for that category in which 10% number is not fulfilled. In case of non-availability of eligible candidates in Home Guards and Ex-servicemen category no post shall be carry forwarded for the next year but these post shall be filled by other available candidates.

A separate list shall be prepared for the posts reserved for women, but since the reservation of women is block wise direct reservation and the posts shall not be carry forwarded for next year in case of not availability of eligible woman, hence the eligible women candidates of whatsoever category wise not available then those posts shall be filled by male candidates of that same category.

(viii) Approval of Selection List- The select list having prepared immediately after the examination shall be sent to Inspector General of Police range for approval along with entire requisite record as per schedule prescribed by Police Headquarters. The range Inspector General of Police shall issue approval order after examining the list prima facie but as per schedule prescribed by Police Headquarters in any case. While approving the select list the range Inspector General of Police shall examine that-

(a) Is recruitment done as per rules?

(b) Has rules regarding reservation in the recruitment been followed?

(c) Has any serious irregularity or any complaint been observed during the recruitment, which seems to be correct at prima facie?

(d) In these any other self explanatory omission or error or carelessness being observed.

If range Inspector General of Police find above said error then he shall issue a clear order for the cancellation of recruitment proceeding. A copy of cancellation order shall also be endorsed to Police Headquarters. The recruitment on the basis of arithmetical error shall only be cancelled unless it is not clear that there is an adverse effect on the selection of candidates due to this. The recruitment cannot be cancelled on the basis of unproved complaints or public gossip.

The select list shall be approved fully or it shall be cancelled in Toto. Range Inspector General of Police cannot give revaluation or re-examination order. Range Inspector General of Police may ask for all requisite records and rough works for scrutinization prior to approval.

12. List of candidates recommended by the Selection Committee.– (1) The committee shall forward to the Appointing Authority a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as fixed by it and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who through not qualified by that standard, are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

(2) Subject to the provisions of these rules, and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list. A waiting List of 25% of total posts shall also be prepared and published apart from the real vacancies by following the rules of reservation, which shall be effective from the date of publication till the next selection process starts or for a period of 1 year or whichever is earlier.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. Appointment to the service from the Select List.- (1) Final merit list for direct recruitment of Fighter Constable, shall be prepared on the basis of marks obtained in physical proficiency test, written examination and bonus marks. The appointment shall be made from the merit list within the availability of posts.

(2) The mutual seniority of the candidates obtaining equal marks in total shall be determined on the basis of their date of birth. The candidates of higher age shall be considered as senior. If both, the date of birth and the obtained marks, are same then the seniority shall be determined on the basis of registration number of the application.

(3) The Selection List issued by the Appointing Authority shall be valid legally for a duration of 1 year from the date of issue of selection list.

14. Probation and Training.- (1) Character verification shall be done in respect of each selected candidates. A successful candidate whose name appears in the Select List (Merit List) shall be appointed on probation of 3 years, provided that the character verification report is favorable. If any candidates hides any factual information in character verification form or give wrong information then he shall be declared as unfit for the service and he shall not be granted appointment and if this fact traced out after the appointment in service then he may be removed from the service without given any other notice. The candidate shall not be eligible to be in appointment and to be in service continuously if his character verification is found adverse and the name of such selected persons shall be deleted from the selection list.

(2) If any candidate, whom an appointment proposal has been sent, does not report within the given date and at specified place then the name of such candidate can be deleted from the selection list by the order of Director General of Police and the Competent Authority may issue such order that an appointment proposal may be issued to that candidate whose name is given just below in the Merit List and otherwise found fit for such proposal.

(3) Before reporting to the unit concerned the candidates has to undergo medical examination, in which it is mandatory to be fit fully.

(4) The prescribed training shall be given in specified training institutes and in other unit after the appointment. The training duration may be increased or he may be discharged from the service in case of being unsuccessful in prescribed written, oral and practical examination and in case of inability of fulfilling the training aims of criteria as prescribed time to time.

15. Appointment by Promotion.- (1) There shall be constituted a Departmental Promotion Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

However, if under this sub-rule, for the purpose of constitution of the committee, the provision of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall be followed. Also, it is mandatory to keep a woman member in the committee in compliance with the letter No. F-13-8/2019/आ. प्र./1-3 Nava Raipur Atal Nagar, Dated 27th August, 2020 issued by the Government of Chhattisgarh.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 year.

(3) The tenure of the committee shall be 1 year from the date of its constitution or until it is reconstituted, whichever is earlier.

(4) Promotion shall be given according to the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per the criteria mentioned in the prevailing promotion rules for the equivalent post/service in the cadre of district force, GD.

(5) The procedure for promotion in the vacancies shall be as per the rules mentioned in sub-rule (4) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

16. Conditions of Eligibility for Promotion.- (1) The committee shall consider the cases of all persons who on the on the first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the post from which promotion is to be made as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with provision of sub-rule (2).

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

Explanation- Method of computation for eligibility for promotion- The period of qualifying service on 1st January of the concerned year in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) Promotion shall be given according to the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003 and as per the criteria mentioned in the prevailing promotion rules for the equivalent post/service in the cadre of district force, GD.

(3) Promotion shall be given in accordance with the reservation roster prescribed by the Government.

(4) For the promotion in the each post/rank of the service, attain the pre-promotion training and post-promotion training shall be mandatory.

17. Preparation of list of suitable candidates for Promotion.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who fulfill the conditions prescribed in rule 14 above and who are considered suitable by the committee for promotion to the service.

Calculation of the number of vacancies for promotion during the relevant year for which the promotion process is to be calculated i.e. 1st January to 31st December due to existing and retirement and promotion to higher pay scale of higher cadre/part of service/post, vacancies shall be determined by adding 25% (unforeseen) more than the expected vacancies. Vacant posts shall be decided according to the reservation roster.

(2) The said list shall be prepared in according to the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003 and criteria mentioned of prevailing promotion rules for the equivalent post/service in the cadre in District Force G.D. Cadre. The criterion for preparation of select list of person for promotion shall be seniority subject to fitness.

(3) At the time of preparation of the select list in accordance with the Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Service) Rule, 1961, the name of the employees included in the list shall be placed in the order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV.

Explanation- A person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. Select/Fit List.- (1) The list as finally approved by Additional Director General of Police (Administration)/Inspector General of Police Range/Deputy Inspector General of Police, shall be the select/fit list for promotion of the member of service from the post mentioned in column (2) of Schedule-IV to the post mentioned in column (3) of the said Schedule.

(2) Before the merit list is prepared by the Departmental Promotion Committee, he shall also have to work as a Revised Departmental Promotion Committee (Review DPC), i.e. whose names have been left out for consideration in the earlier departmental promotion committee or whose service if there is any change in the service-record, the name of such employees shall be considered by the committee.

(3) The select/fit list for promotion shall ordinarily be valid from the date of its preparation till the publication of new fit list or for a period of 18 months, whichever is earlier:

Provided that, in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select/fit list a special review of the select/fit list may be made and if it thinks fit, remove the name of such person from the select/fit list.

(4) The select/fit list of the employees found suitable for promotion shall be issued by the Competent Authority mentioned in the prevailing rules in the district force GD for equivalent posts/service in the cadre. Pre-promotion training for promotion of selected officers/employees to higher posts shall conducted in the training institution. After the above training, by issuing a fit list by Competent Authority, cadre wise promotion shall be given to the vacant posts in the same order in which the name of the suitable employee is in the fit list.

After the expiry of the fit list, if any officer/employee is not promoted and the officer/employee involved in pre-promotion training who has not been able to get promotion, then his name shall be included in the service in the order of seniority while preparing the new fit list. No officer/employees shall be eligible to be given the benefit of promotion or seniority on the basis of the fit list of the previous year, but after his name appears in the new fit list, where his seniority order has been fixed, he shall be given the same level of seniority benefit shall be given if he has not received any major punishment during the said period and no departmental inquiry, criminal cases is under consideration or pending against him. If any officer/employees is impounded with major punishment during this period, his/her name shall be removed from the fit list. It shall be necessary for such officer/employees to be suitable for getting promotion by appearing in the re-

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

scheduled selection process. The process of preparation and revision of fit list shall be done every year. The officer/employees shall not be bound by opportunities to appear in the selection process for promotions.

18. Appointment to the service from the Select/Fit List.- (1) The person included in the list shall be appointed to the post of the service cadre in the same order in which their name, as per the provisions of the Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rule, 2003 and as per the criteria mentioned in prevailing rules in district force GD cadre for promotion in equivalent posts/service, have come in the list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the departmental promotion committee before the appointment of a person whose name is included in the select/fit list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select/fit list and the date of proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. General Instructions.- (1) The appointment of candidates shall be made by unit head as per 100 point roster in seniority order.

(2) All the records and rough works of recruitment shall be kept safely. This can be destroyed only after 3 years of the completion of this recruitment conditionally that no enquiry regarding recruitment is in process or proposed or pending as court case.

(3) All the records should be written with ink or a ball pen.

(4) For the uniformity and transparency in physical measurement and proficiency test, the format of the sample of multipurpose card may be prescribed by the department.

(5) The Contributory Pension Scheme (NPS) or the Unified Pension Scheme (UPS) shall be applicable to the selected candidates (effective from 1st August, 2025). The selected Government employees shall be able to choose one of these options.

(6) The filling of the Head Constable and other senior posts shall be done on the basis of transfer from other branches of Chhattisgarh Police or promotion of Fighter Constable. The process of promotion shall be done by the Range Inspector General of Police.

(7) The 'Fighter Constable' shall be equivalent to the Constable (G.D.) of that district. Apart from the recruitment of 'Fighter Constable' the remaining service terms, duties, conditions, pay and allowances etc. shall be the same as those of the constable (G.D.) of Chhattisgarh Police Executive Force posted in these districts.

(8) There shall be no transfer of the promoted personnel in the 'Bastar Fighter' cadre to the post of Sub-Inspector.

21. Interpretation.- If any question arises with regard to the interpretation of these rules, then it shall be directed to the Government, whose decision thereon shall be final.

22. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such a manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favorable to him than that provided in these rules.

23. Repeal and Saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing contained in these rules, shall provide for the requisite reservation, relaxation and other conditions for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instruction/orders issued by the State Government from time to time, shall not affect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM PRASAD CHOUHAN, Deputy Secretary.

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

SCHEDULE-I

(See rule 5)

S. No	Name of the posts included in the service	Total Number of duty posts	Appointing Authority	Classification	Pay Matrix Level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Inspector (Bastar Fighters)	52	Inspector General of Police	Class-III	Level-9
2.	Sub-Inspector (Bastar Fighters)	106	Deputy Inspector General of Police	Class-III	Level-8
3.	Assistant Sub-Inspector (Bastar Fighters)	162	Superintendent of Police	Class-III	Level-6
4.	Head Constable (Bastar Fighters)	1075	Superintendent of Police	Class-III	Level-5
5.	Constable (Bastar Fighters)	4600	Superintendent of Police	Class-III	Level- 4

Note:- The other conditions of service of Fighter Constable, recruited under these rules shall be the same as that of the Constable (GD) of Chhattisgarh Police Executive Force.

SCHEDULE-II

(See rule 6)

S. No	Name of the posts included in the service	Total number of duty posts	Percentage of number of duty posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment (See rule 6 (1) (a))	By Promotion (See rule 6 (1) (b))	By Transfer/ Deputation (See rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Inspector (Bastar Fighters)	52	-	100 %	-	-
2.	Sub-Inspector (Bastar Fighters)	106	-	100 %	-	-
3.	Assistant Sub-Inspector (Bastar Fighters)	162	-	100 %	-	-
4.	Head Constable (Bastar Fighters)	1075	-	100 %	-	-
5.	Constable (Bastar Fighters)	4600	100%	-	-	-

Note:- Head Constable and other senior posts shall be filled through transfer from other branches of Chhattisgarh Police till the posts of promotion from 'Bastar Fighters' cadre are not filled.

SCHEDULE-III

(See rule 8)

S. No.	Name of service/ posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fighter Constable	18 years	28 years	Should have passed 10th Class examination from school located in Chhattisgarh (Only Scheduled Tribes category candidates having passed 5^{th}	(Nominated by concerned Range Inspector General of Police):- (1)Superintendent of Police **-Chairman** (2) Two Officers of Additional

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

				Class shall also be eligible) All categories of candidates belonging to Naxal affected families and families residing in relief camps in Naxal affected areas passed 5^{th} Class shall also be eligible.	Superintendent of Police/ Deputy Commandant or Deputy Superintendent of Police/ Assistant Commandant – **Members.**

Note :- (1) Provided that out of the two members mentioned above, One member shall be from the Chhattisgarh Armed Force and the other member shall be an officer posted in the police force of any other district. The nomination of an officer of the Chhattisgarh Armed Force shall be done in consultation with the Inspector General of Police/ Deputy Inspector General of Police Chhattisgarh Armed Force.

(2) The rule of the State Government shall be applicable in relation to the representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the selection committee. Also it is mandatory to have a women officer in the selection committee.

(3) For Co-Committee physical measurement and physical efficiency test and for keeping records of measurement, a draft shall be made by the chairman of the committee as required, in which some memebers shall be taken from Chhattisgarh Armed Force and same members shall be taken from District Police Force. The member of this committee shall be responsible for the authenticity of maintaining the records of the exhibit/evaluation. The selection committee shall be free to conduct the measurement again in the above cases:

Provided that the head of the department may be general or special order, constitute a selection committee other than the aforesaid selection committee.

SCHEDULE-IV

(See rule 14, 15, 16 and 17)

S. No.	Name of Post from which promotion is to be made	Name of the Post to which promotion is to be made	Minimum experience/ length of service to be eligibility for promotion	Name of Chairman and Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sub-Inspector (Bastar Fighters)	Inspector (Bastar Fighters)	5 years	(1) Inspector General of Police –**Chairman** (2) Deputy Inspector General of Police (Two) -**Members** (nominated by Director General of Police)
2.	Assistant Sub-Inspector (Bastar Fighters)	Sub-Inspector (Bastar Fighters)	3 years	(1) Deputy Inspector General of Police (Three) (nominated by Director General of Police) (2) Senior most of them members shall be Chairman.
3.	Head Constable (Bastar Fighters)	Assistant Sub-Inspector (Bastar Fighters)	5 years	(1) Deputy Inspector General of Police - **Chairman** (2) Officers of the rank of Superintendent of Police (Two) - **Members** (nominated by Inspector General of Police Range/ Deputy Inspector General of Police)
4.	Constable (Bastar Fighters)	Head Constable (Bastar Fighters)	8 years	(1) Superintendent of Police - **Chairman** (2) Additional Superintendent of Police - **Member** (3) Deputy Superintendent of Police - **Member** (nominated by Inspector General of Police Range/ Deputy Inspector General of Police)

Note-The rules issued by the State Government regarding relaxation in minimum experience/period in promotion shall be applicable.

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

SCHEDULE-V
(See rule 3 and 7)

S. No.	Item (Male Candidates)	Marks	Item (Female Candidates)	Marks	Item (Ex-Serviceman)	Marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**LONG JUMP**	**20**	**LONG JUMP**	**20**	**LONG JUMP**	**20**
	Less than 3Mtr.75Cms.	00	Less then 2Mtrs. 50Cms.	00	Less than 03 Mtrs. 65 cms.	00
	3Mtr. 75Cms. or more	07	2Mtrs. 50Cms. or more	07	3 Mtrs. 65 cms. or more	07
	4 Mtrs. or more	11	2 Mtrs.75Cms. or more	11	3 Mtrs. 90 cms. or more	11
	4Mtrs. 50Cms. or more	14	3Mtrs 25Cms. or more	14	4 Mtrs. 40 cms. or more	14
	5 Mtrs. or more	17	3 Mtrs.75Cms. or more	17	4 Mtrs. 90 cms. or more	17
	5 Mtrs. 50Cms. or more	20	4 Mtrs. 25Cms. or more	20	5 Mtrs. 40 cms. or more	20
2.	**HIGH JUMP**	20	**HIGH JUMP**	20	**HIGH JUMP**	20
	Less than 1 Mtrs. 30Cms.	00	Less than 1Mtrs.	00	Less than 1 mtr. 05 cms.	00
	1 Mtrs. 30 Cms. or more	07	1 Mtrs. or more	07	1 Mtrs. 05 cms. or more	07
	1 Mtrs. 35 Cms. or more	11	1 Mtrs. 05 Cms. or more	11	1 Mtrs. 10 cms. or more	11
	1 Mtrs. 40 Cms. or more	14	1 Mtrs. 10 Cms. or more	14	1 Mtrs. 15 cms. or more	14
	1 Mtrs. 45 Cms. or more	17	1 Mtrs. 15Cms. or more	17	1 Mtrs. 20 cms. or more	17
	1 Mtrs. 50 Cms. or more	20	1 Mtrs. 20 Cms. or more	20	1 Mtrs. 25 cms. or more	20
3.	**SHOT PUT** (Weight 16 Lbs.)	20	**SHOT PUT** (Weight 8 Lbs.)	20	**SHOT PUT** (Weight 16 Lbs.)	20
	Less than 05 Mtrs.	00	Less than 04 Mtrs.	00	Less than 05 Mtrs.	00
	5 Mtrs. or more	07	4 Mtrs. or more	07	5 Mtrs. or more	07
	6 Mtrs. or more	11	5 Mtrs. or more	11	6 Mtrs. or more	11
	7 Mtrs. or more	14	6 Mtrs. or more	14	7 Mtrs. or more	14
	8 Mtrs. or more	17	7 Mtrs. or more	17	8 Mtrs. or more	17
	9 Mtrs. Or More	20	8 Mtrs. Or More	20	09 Mtrs. or more	20
4.	**100 Meter Race**	20	**100 Meter Race**	20	**100 Meter Race**	20
	12 Seconds or less	20	14 Seconds or less	20	14 second or less	20
	Up to 14 Seconds	14	Up to 16 Seconds	14	Up to 16 second	14
	Up to 16 Seconds	07	Up to 18 Seconds	07	Up to 18 second	07
	More than 16 Seconds	00	More than 18 Seconds	00	More than 18 seconds	00
5.	**800 Meter Race**	20	**800 Meter Race**	20	**800 Meter Race**	20
	Up to 2 Minute	20	Up to 2 Minute 30 Second	20	Up to 2 Minute 30 Second	20
	Up to 2 Minute 30 Second	14	Up to 3 Minute	14	Up to 3 Minute	14
	Up to 3 Minute	07	Up to 3 Minute 30 Second	07	Up to 3 Minute 30 Second	07
	More than 3 Minute	00	More than 3 Minute 30 Second	00	More than 3 Minute 30 Second	00

Note:-If Male is mentioned in the certificate of Third Gender category candidates, the prescribed criteria for Male Candidates and If Female is mentioned the prescribed criteria shall be applicable for Female Candidates.

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

SPECIMEN CARD
CHHATTISGARH POLICE

Constable Selection Examination : Month .... Year ....

District ....Examination admission and exhibition letter/ card

S. No. .... Roll No. ....

Employment Registration S. No. ....

Name of the candidates ....

Category- Class ....

Male/Female .... Date of Birth ....

Educational Qualification ....

Date of Examination .... Place of Examination ....

Signature of the Candidate ....

Signature of documents Scrutinizing Team In-charge ....

Recent Passport size photo without wearing any colour spectacle. Sign on photo in such a way that half of the signature is on photo and the other half is on application.

Note:-Before physical examination this card shall be given to the applicant and After physical Proficiency Test, his Signature shall be taken back. The Signature of him and In charge of the Examination shall be taken on this card at the time of Written Examination.

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

DETAILS OF PHYSICAL MEASUREMENTS

Height .... Cms.

Chest without Expansion .... Cms.
With Expansion .... Cms.

Knock Knee .... Fit/Unfit

Flat Foot .... Fit/Unfit

Signature of Measuring Officer ....

Details of Examination:-

S. No.	Name of Item	Time/ Measurement	Marks Obtained	Passed/ Failed	Signature
1.	100 Meter Race				
2.	800 Meter Race				
3.	Long Jump				
4.	High Jump				
5.	Shot Put				

1. Has appeared in Written Examination ?
If Yes, then Signature of the Candidates : ....

Signature of Physical Examination In-Charge ....

Signature of Written Examination Hall In-Charge ....

2. Appeared in Interview .... Yes/No

Signature of the In-charge ....

Signature of the In-charge ....

TAP TO TAP TO JOIN OUR WATSAPP CHANNEL

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.